कचरा फेंकने और डस्टबिन नहीं रखने वाले 12 दुकानदारों पर निगम ने लगाया जुर्माना

भिलाईनगर/ निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अव्यवस्थित तरीके से कचरा फेंकने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश समस्त जोन आयुक्त को दिए हैं! इसी अनुक्रम में नगर पालिक निगम , भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गंदगी फैलाने , कचरा फेंकने और प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी का उपयोग करने वालों के खिलाफ निगम की टीम कार्यवाही कर रही है। बाजार क्षेत्र होटल, ठेले व नाश्ता सेंटर वालों द्वारा अनियंत्रित तरीके से कचरा को फेंका जा रहा था, इसी के तहत राधिका नगर, सुपेला एवं अवंती बाई चौक पर जोन 01 नेहरू नगर की टीम ने 12 व्यवसासियों से 2500 रूपए अर्थदंड वसूले और समझाइश दिए कि दोबारा ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल , चाय नाश्ता ठेला व अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय कर गंदगी फैलाने वालों पर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्यवाही की। जोन 01 आयुक्त सुनील अग्रहरि ने निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही करने टीम शाम 7 बजे विभिन्न चौक चौराहा व बाजार क्षेत्र का निरिक्षण किया गया। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना ने बताया कि जोन 01 अंतर्गत वार्ड कं. 04 राधिका नगर एवं वार्ड कं. 5,6,7 में सुपेला चौक से अवंती बाई चौक तक ठेले पर चाय, नाश्ता, फास्ट फूड का व्यवसाय करने वालों के द्वारा खाद्य पदार्थों के गीले एवं सूखे कचरे को आस पास ही अनियंत्रित तरीके फेंककर गंदगी फैलाने तथा नास्ता प्लेट व डिस्पोजल को एकत्र करने डस्टबिन नहीं रखने पर 12 व्यवसायियों से अर्थदंड वसूला गया। ठेले संचालकों को समझाईश दी गई कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करना है इससे पर्यावरण को नुकसान होता है तथा गीला एवं सूखे कचरे को एकत्रित कर रखें और निगम के सफाई मित्र के वाहन में देंवे ताकि कचरे का सही तरीके से निष्पादन किया जा सके।

इनसे वसूला गया जुर्माना निगम की टीम ने जोन 01 क्षेत्र के लक्ष्मीनगर के शिवा मांझी द्वारा गंदगी फैलाने पर 200 रूपए, श्रीनिवास चौधरी से 200 रूपए, विनोद साव से 200 रूपए, मनीष से 200 रूपए, राजेश कुमार मिश्र से 200 रूपए, सुपेला बाजार में ओम प्रकाश गुप्ता से 200 रूपए, राधिका नगर दीपक ठाकुर से 200 रूपए, बसंत लाल से 100 रूपए, संजय दत्ता से 200 रूपए, रोहित प्रजापति से 200 रूपए, भागीरथी साहू से 200 रूपए एवं लोकेश से 200 रूपए सहित 12 व्यवसायियों से कचरा फैलाने एवं डस्टबिन नहीं रखने पर कुल 2500 रूपए अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की।